

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह माटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/ 5287
प्रार्थी

दिनांक - 04/03/24

बनाम

अप्रार्थीगण

1 रूपाराम पुत्र तेजाराम
जाति जाट निवासी
जाणियावास तहसील एवं
जिला बाड़मेर।


1 हरजीराम पुत्र तेजाराम 2 सताराम पुत्र
मोडाराम 3 बाबुराम पुत्र गंगाराम 4
मूलाराम पुत्र ताजाराम 5 भभूताराम पुत्र
खरथाराम जाति जाट निवासी
जाणियावास तहसील व जिला बाड़मेर 6
सहायक अभियंता सा.नि.वि. बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 453/2024

दिनांक- 27.08.24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जाणियावास पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 283/146 रकबा 2.5495 हैक्टेयर, खसरा संख्या 285/146 रकबा 0.8256 हैक्टेयर व खसरा संख्या 394/146 रकबा 0.4532 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह माटी)
उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक- 04/09/24

क्रमांक :- रीडर/2024/ 5288-91

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी रूपाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी नांद तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हरजीराम पुत्र तेजाराम वगैराह जाति जाट निवासी नांद तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर